राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU)
विश्व बैंक–भारत सरकार सहायतित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना
उत्तर प्रदेश

सहयोगी संगठनों द्वारा "अभिरुचि की अभिव्यक्ति" जमा करने हेतु अनिवार्य पात्रता मानदंड

(Mandatory Eligibility Criterion for Submission of EOI by Support Organizations)

1. सहयोगी संगठन 1 अप्रैल 2014 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत न्यूनतम 5 वर्षों से पंजीकृत होना चाहिए और आवेदन की तिथि के समय पंजीकरण वैध होना चाहिए। (कृपया पंजीयन पमाणपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)।

2. सहयोगी संगठन की नियमावली के अनुसार ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता संस्था के उद्देश्यों में होना चाहिए। (कृपया संगठन के स्मृति पत्र व नियमावली की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)।

3. सहयोगी संगठन के पास समुदाय स्तरीय जागरुकता एवं सांगठनिक कार्यों का न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। (कृपया संबंधित प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)।

4. सहयोगी संगठन की पिछले तीन सालों की लेखा पुस्तकें चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षित होनी चाहिए। (लेखा तैयार करने तथा उसका संकलन करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट के प्रमाणपत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा)। (कृपया पिछले तीन सालों की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)।

5. सहयोगी संगठन का मुख्यालय अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। परियोजना जिलों में कार्यालय वाले सहयोगी संगठन को वरीयता दी जाएगी।

6. सहयोगी संगठन का पिछले तीन वर्षों में न्यूनतम रु0 75.00 लाख का व्यवसाय होना चाहिए।

7. सहयोगी संगठन को केंद्रीय/ राज्य सरकार द्वारा अथवा किसी भी द्विपक्षीय/ संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया होना चाहिए। (कृपया सहयोगी संगठन के मुखिया द्वारा इस संबंध में एक प्रमाणपत्र संलग्न करें)।

<u>नोट</u>

जो सहयोगी संगठन सभी अनिवार्य पात्रता मानदंड को पूरा करेंगे, केवल उन्हीं को सहयोगी संगठनों के डाटाबेस प्रारूप में उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध मूल्यांकित किया जाएगा। इस मूल्यांकन में न्यूनतम 60 अंक प्राप्त करने वाले संगठनों को ही सूचीबद्ध किया जाएगा।

केवल सूचीबद्ध संगठनों को ही विश्व बैंक के अनुमोदन के पश्चात जिले स्तर से ही ''प्रस्ताव हेतु आमंत्रण'' (Request for Proposal) भेजा जायेगा। सहयोगी संगठनों का अंतिम चयन उनके द्वारा जमा किए गए तकनीकी व वित्तीय प्रस्तावों के मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर ही किया जायेगा।

****